महत्वपूर्ण एवं खास

दो आईएएस के प्रभारों में हुआ फेरबदल

रायपुर (आरएनएस)। सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अफसर निहारिका बारिक प्रमुख सचिव मंत्रालय को अवकाश से वापसी उपरांत अस्थाई रूप से महानिदेशक ठाकुर प्योलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में पदस्थ किया है। बारिक की जगह वर्तमान में आईएएस सुब्रत साहू यहां का प्रभार संभाल रहे थे। आदेश में कहा गया है कि बारिक के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से साहू पदभार से मुक्त होंगे। इसी तरह आईएएस सुश्री श्रुति सिंह सचिव मंत्रालय को अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत अस्थाई रूप से आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भन नई दिल्ली में पदस्थ किया गया है।

आबकारी विभाग के चार अधिकारियों का स्थानांतरण

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य शासन के वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग द्वारा अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इकबाद अहमद खान जिला आबकारी अधिकारी सीएसएमसीएल पार्ट-3 जिला रायपुर स्वतंत्र प्रभार को कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उडऩदस्ता बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह कुमारी नीलम स्वर्णकार आबकारी उपनिरीक्षक कायार्लय सहायक आयुक्त आबकारी जिला दुर्ग को कार्यालय सहायक उपायुक्त आबकारी बिलासपुर, रामकृष्ण मिश्रा सहायक आयुक्त आबकारी जिला रायगढ़ को उप महाप्रबंधक, सीएसएमसीएल मुख्यालय रायपुर तथा मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ को जिला आबकारी अधिकारी जिला महासमुंद स्थानांतरित किया गया है।

कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हाथियों के झुंड को सड़क पार करते देखा गया

कोरबा (आरएनएस)। कटघोरा वनमंडल के केंदई वन परिक्षेत्र के चोड़धवा गांव लगभग गुरुवार को रात करीब 7 बजे कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हाथियों के झुंड को सडक़ पार करते देखा गया। इस दौरान मार्ग के दोनों छोर में आवागमन आधे घंटे तक बाधित रहा। 45 की संख्या में हाथियों के निकटवर्ती जंगल में डेरा डालने से ग्रामीणों भय बना हुआ है। दल में हाथियों के कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों का विचरण इस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। जिस तादाद में हाथियों की संख्या वन क्षेत्र में बढ़ रही है उसकी तुलना में सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। रहवासी क्षेत्र में मकान तोडऩे और फसल नुकसान की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।

युवक के खाते से 1 लाख से अधिक रकम पार

रायपुर (आरएनएस)। डीटीडी से कोरियर चेक करने के दौरान युवक के खाता से अज्ञात व्यक्तियों ने 1 लाख 11 हजार 617 रुपए आहरण कर लिया। प्रार्थी की शिकायत पर नेवरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी वेनू कुमार 41 वर्ष इस्ट वेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड बेमेता नेवरा का रहने वाला है। बताया जाता है अज्ञात मोबाइल धारक क्रमांक 9123969034 एवं 6383268473 के धारक ने प्रार्थी को डी.टी.डी से कोरियर चेक करने के दौरान ओटीपी भेजकर प्रार्थी के आईसीआईसीआई बैंक के खाता से 1,11,617 रुपए आहरण कर लिया। प्रार्थी की शिकायत पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बस्तर की देवगुड़ियां और मातागुड़ियां हुई लिपिबद्ध

❒ 3456 देवगुड़ियों और मातागुड़ियों को मिला सामुदायिक वनाधिकार पत्र

❒ 6466 एकड़ भूमि देवगुड़ी और मातागुड़ी के नाम से संरक्षित

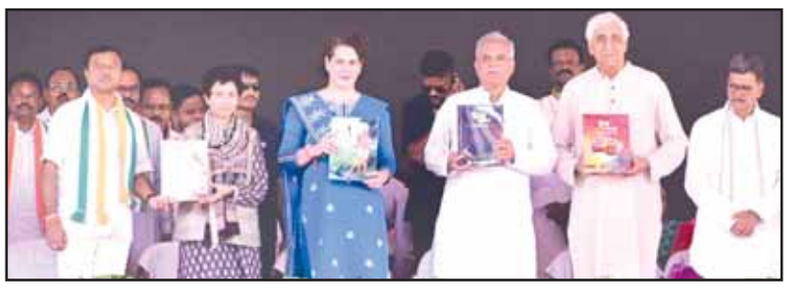

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में सदियों से अनेक जनजातीय समुदाय निवासरत हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। आदिवासियों के विरासत में आस्था का केन्द्र देवगुड़ी-मातागुड़ी है, जिसकी जनजातीय समुदायों में अपनी महत्ता है। राज्य शासन की मंशानुरूप देवगुडिय़ों-मातागुडिय़ों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न मदों के अभिसरण से इन देवगुडिय़ों-मातागुडिय़ों का जीर्णोद्धार करने सहित उन्हें संवारने के लिए व्यापक पहल की गई है।

जनजातीय समुदाय के अधिकांश समूह प्रकृति पूजक हैं वे पेड़-पौधों में अपने देवी-देवताओं का वास मानते हैं और इसी आस्था के फलस्वरूप वनों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि इन देवस्थलों पर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे पाये जाते हैं। इन देवस्थलों के परिसरों में वृहद स्तर पर फलदार एवं छायादार पौधरोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त देवस्थलों का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान कर देवगुडिय़ों एवं मातागुडिय़ों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों के भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से सम्बंधित देवी-देवताओं के नाम से भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। वहीं इन देवगुडिय़ों-मातागुडिय़ों और गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों को उनके नाम से सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र जारी किया गया है, ताकि इन सांस्कृतिक-सामाजिक धरोहरों के परिसरों को अवैध कब्जा से बचाया जा सके। साथ ही इन धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में स्थानीय जनजातीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं बस्तर संभाग देश का ऐसा संभाग है, जो आदिवासी समुदायों की आस्था एवं जीवित परम्पराओं के केन्द्र मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा - अर्जी स्थल आदि के संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 2453 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। इनमें कुल 7075 मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक के लिये 2607.20 हेक्टेयर (6466 एकड़) भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर संरक्षित किया गया है। बस्तर संभाग में कुल 22884 बैगा, सिरहा, मांझी, गुनिया, गायता, पुजारी, बजनिया, अटपहरिया आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर प्रत्येक को प्रतिवर्ष 7000 रूपए प्रदान किया जा रहा है। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी-देवताओं की वाचिक परम्परा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किये गये सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर पुरखती कागजात'' नामक (भाग एक) पुस्तिका तैयार की गई है। पुरखती कागजात'' (भाग-दो) में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भुईया के माध्यम से खसरे के कैफियत कॉलम में मातागुडी, देवगुड़ी के नाम व रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के मार्गदर्शन में आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देवगुड़ी तथा मातागुड़ी निर्माण एवं जीर्णोद्धार सहित गोटुल निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जा रहा है। बस्तर अंचल की आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में 6283 देवगुड़ी और मातागुड़ी में से 3244 का जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी गई है और अब तक 2320 देवगुड़ी एवं मातागुडियों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं स्वीकृत 297 गोटुल निर्माण कार्यों में से 200 कार्यो को पूर्ण किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 'कैम्प' संस्था ने वापस की महतारी एक्सप्रेस के लिए चयनित ड्राइवरों से ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट

❒ स्वास्थ्य विभाग के लिए संस्था द्वारा अभी 250 एम्बुलेंस का किया जा रहा है संचालन

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में 102-महतारी एक्सप्रेस सेवा का परिचालन विगत 29 सितम्बर से नई संस्था 'कैम्प' द्वारा किया जा रहा है। 'कैम्प' द्वारा अभी सभी जिलों में कुल 250 एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 102-महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए नई एम्बुलेंस के संचालन के लिए निविदा जारी की गई थी। कैम्प नामक निजी संस्था जिसे 102 के संचालन का कार्य सौंपा गया है, यह एक निजी कंपनी है और इसे ड्राइवर, श्वरूज्ज इत्यादि नियुक्त का अधिकार स्वतंत्र रूप से है।

स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में विभिन्न माध्यमों से संस्था द्वारा एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवरों के चयन के दौरान सिक्योरिटी के रूप में राशि जमा कराने की बात आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संस्था को अभ्यर्थियों से ली गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस करने के निर्देश दिए गए थे। संस्था ने आज चयनित सभी 250 अभ्यर्थियों से ली गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट की राशि उनके खातों में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से वापस कर दी है।

पूर्व निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने कैम्प कंपनी में सभी कर्मचारियों को कार्य में रखने की माँग कल संचालक स्वास्थ सेवायें से की थी। उक्त संबंध में डायरेक्टर हेल्थ ने कैम्प कंपनी को नौकरी देने के एवज़ में सिक्योरिटी डिपाजिट तत्काल ऑनलाइन ट्रांसफर/ वापस करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन कैम्प कंपनी ने कर दिया है। कंपनी को कड़े शब्दों में निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी से सुरक्षा निधि नहीं लेगा। इसे यह भी समझाईश दी गई कि पुराने एजेंसी के साथ कार्यरत कर्मियों को योग्यता अनुसार कार्य में रख सकता है, उसने आश्वासन् भी दिया है कि योग्यता अनुसार स्वतंत्र रूप से दक्ष कर्मियों को कार्य में रख सकता है। निजी कंपनी भविष्य में सिक्युरिटी डिपाजिट नहीं लेगा और यदि कैम्प के द्वारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो कड़ी कार्यवाही हिदायत दी गई है।

पंचायत सचिवों के अवकाश व वेतन वृद्धि को लेकर आदेश जारी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता रहेगी। एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

इसके अलावा महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिन के लिए मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जनम के 6 माह तक के लिए) स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

उपादान : 5 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माही समयावधि के लिए उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक चौथाई के बबराबर, उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के मध्याधीन रहते हुए उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अलावा भी कई अन्य बिंदुओं पर आदेश जारी हुआ है।

प्रियंका गांधी एवं मुख्यमंत्री ने निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का किया अवलोकन

रायपुरई (आरएनएस)। प्रियंका गांधी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों पर अवलोकन किया। उन्होंने स्ॅम् से प्रभावित क्षेत्र के कनेक्टिविटी क्रांति के मॉडल का अवलोकन किया, जिसके तहत विगत 5 वर्षों में यहां 4599 किलोमीटर लम्बी 1460 सडक़ बनाई गई है, जो बस्तर कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर को जोड़ती है। सरकार की विशेष योजना के तहत जिले में थर्ड जेंडर के 8 लोगों को आरक्षक की नौकरी भी दी गई है। गांधी ने थर्ड जेंडर आरक्षक रतनू, दिव्या निषाद और सूरज कुमार से चर्चा की और सरकार की इस योजना की सराहना की।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्राओं ने गांधी का स्वागत बांस से बनी माला पहनाकर किया। कक्षा 11वीं और 12वीं में पढऩे वाली छात्राओं ने गांधी के साथ फोटो भी खिंचाई। गांधी ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें ऑल द बेस्ट एवं वी आर प्राउड ऑफ़ यू, भी कहा। गांधी ने हब एंड स्पोक मॉडल हमर लैब का अवलोकन किया। यहां लैब में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। अतिथियों ने स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सराहना की। इस अभियान को आठ चरणों में चलाया गया, जिससे धनात्मक प्रकरणों, मृत्यु दर और एपीआई दर में बड़ी कमी आई है। अतिथियों ने बस्तर संभाग के परंपरागत कला स्टॉल का भी अवलोकन किया। यहां हाथ करघा बुनाई प्रशिक्षण केंद्र में पिछले तीन वर्षों में 105 महिला समूह को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया है।

विदेशी नोटों के एक्सचेंज के नाम पर लाखों की ठगी, तीन गिरफ्तार

दुर्ग (आरएनएस)। दुर्ग जिले के भिलाई में विदेशी नोटों के एक्सचेंज के नाम पर में ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने मलेशिया के नोटों के एक्सचेंज के बदले दो व्यापारियों को कागजों की गड्डियां पकड़ा दी और उससे साढ़े तीन लाख रूपए की ठगी की। मामले की शिकायत पीडि़त ने थाने में दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार सुपेला थाना क्षेत्र स्थित राजू जैन की कपड़े की दुकान पर तीन लोग अंडरवियर लेने पहुंचे थे। ठगों ने दुकान से अंडरवियर खरीदी तथा बदले में उन्होंने दुकानदार राजू जैन को 50 रिंगित मलेशियाई करेंसी दिया। जिसे दुकानदार ने नहीं लिया। उसने इंडियन रुपये मांगे जिसपर ठगों ने राजू जैन को बताया कि उनके एक रिंगित की कीमत 17 रुपये है तथा उनके पास 3 लाख 50 हजार के मलेशिया के नोट है और वे उसे इंडियन करेंसी में बदलना चाहते हैं। यदि नोट बदली करवा दिए तो इसके बदले आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। जिसके बाद लालच में राजू जैन ने अपने दोस्त प्रमोद जैन को इसकी जानकारी दी और उसे इस लाभ के बारे में बताकर उसने भी कुछ पैसे ले लिए और कुल 3 लाख 50 हजार रुपये नगद ल`जाकर आरोपियों को दिए और मलेशियाई नोटों से भरा हुआ बैग ले लिया। लेकिन जब घर पहुंचकर व्यापारी राजू ने बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में नोट की जगह कागज की गड्डियां भरी हुई थी। फिर उसने लोगों से संपर्क करने के लिए फोन लगाया तो उनका मोबाइल बंद बताया।

जिसके बाद राजू जैन ने तत्काल सुपेला थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसपर सुपेला पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी अब्दुल रऊफ खान, सैफुल और आकाश मलिक नामक व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420/34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया तथा उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 रिंगित मलेशियाई नोट भी बरामद किया है।

कांकेर में प्रियंका गांधी ने माता देवगुड़ी में की पूजा-अर्चना

रायपुर (आरएनएस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां कांग्रेसजनों ने संक्षिप्त मुलाकात के बाद सभी नेता कांकेर के लिए रवाना हो गए।

ज्ञात हो कि प्रियंका गांधी आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों को और अधिक ग्रामीणों तक सुलभ बनाने के लिये बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अधिकृत वेबसाइट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा समारोह में इसका भी शुभारंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है। प्राधिकरण अन्तर्गत संभाग के बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले समाहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है, इस प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अन्य कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।

कांकेर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत :

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी भानुप्रताप देव कॉलेज मैदान, गोविंदपुर कांकेर स्थित हेलीपैड पहुंचने पर हेलीपैड में विधायक शिशुपाल सोरी, सावित्री मंडावी, अनूप नाग सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। प्रियंका गांधी आज अपने कांकेर प्रवास के दौरान जनरल गल्स हॉस्टल की छात्राओं से मिली। हॉस्टल की छात्राएं बड़े उत्साह से गांधी से मिली।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अधिवक्ताओं के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सांवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

जेनेरिक दवाईयां खरीदकर नागरिकों ने बचाए 142.28 करोड़ रूपए

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सभी आयु वर्ग के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से संचालित धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना से अब तक मरीजों को 142 करोड़ रूपए से अधिक की बचत हो चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब को बड़ी राहत मिली है।

राज्य के सभी नगरीय निकायों में संचालित इस योजना के अंतर्गत ब्रांडेड कंपनियों की जेनेरिक दवाएं 50 से 70 प्रतिशत कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती है। धन्वंतरी दवा दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्सुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आईटम भी रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 195 धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले गये हैं। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। योजना से अब तक 231.94 करोड़ रूपए एम.आर.पी. की दवाईयों के विक्रय पर 142 करोड़ 28 लाख रूपए की छूट जरूरतमंद लोगों को दी गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में संचालित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल की दुकानों से 81 लाख 76 हजार से अधिक नागरिकों ने सस्ती दवायें खरीदी है। जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और कम मूल्य पर दवा उपलब्ध होने से बचत हो रही है। धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोरों में दवाओं की उपलब्धता एवं संचालन व्यवस्था की निगरानी नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया करते रहते है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थायें लगातार करते रहने के निर्देश दिए है।

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले में 21, गरियाबंद में चार, बलौदाबाजार-भाटापारा में सात, धमतरी में सात, महासमुंद में छह, दुर्ग में 19, बालोद में आठ, बेमेतरा में आठ, राजनांदगांव में पांच, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में तीन, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ में एक, कबीरधाम में छह, बिलासपुर में 11 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में दो, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे है। इसी तरह से मुंगेली में चार, कोरबा में छह, जांजगीर-चांपा में नौ, सक्ती में छह, रायगढ़ में आठ, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पांच, जशपुर में पांच, सरगुजा में चार, बलरामपुर में पांच, सूरजपुर में छह, कोरिया में दो, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में पांच, बस्तर में तीन, कोण्डागांव में तीन, नारायणपुर में एक, कांकेर में छह, दंतेवाड़ा में पांच सुकमा में तीन और बीजापुर जिले में तीन धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं।